न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारीः— डॉ. प्रतिभा सिंह,आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—276 / 2017

अपीलाण्ट :—	बनाम	रेस्पोडेन्ट :—
1. लाखें खॉ पुत्र इब्राहिम 2. लाली पत्नी मुरीद खॉ 3. हबीबखॉ पुत्र मुरीद खॉ 4. बीरबल खॉ पुत्र मुरीद खॉ 5. मीरों पत्नी गफूरखॉ 6. गुडडी पत्नी नसीद खॉ 7. इदेखॉ पुत्र आरब खॉ जातियान— मुसलमान, निवासी— मेहरानगढ तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर 8. हुरमी पत्नी शेरखॉ जातियान— मुसलमान, निवासी सोलंकिया तला, तहसील शेरगढ, जोधपुर। मूसें खॉ पुत्र दादू खॉ, जाति मुसलमान, निवासी— मेहरानगढ तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर		1. कायमखॉ पुत्र अमीनखॉ, निवासी— मेहरानगढ तहसील भणियाणा,जिला जैसलमेर। 2. केकूकंवर पत्नी खेतसिंह जाति राजपूत निवासी— बडोडा, तहसील— तिंवरी, जोधपुर 3. सवाईसिंह पुत्र रेंवतसिंह 4. सुजानसिंह पुत्र रेंवतसिंह 5. नेपालसिंह पुत्र रेंवतसिंह, निवासी— तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर। 6. तहसीलदार, भणियाणा 7. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बीकानेर एण्ड जयपुर, वर्तमान शाखा—फलसूण्ड,जैसलमेर 8. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा—राजमथाई, जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा, जैसलमेर के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 184 / 2016 अनवान कायमखॉ बनाम लाखे खॉ वगैराह में दिनांक 18.04.2017 को पारित किया गया

उपस्थिति :—

1. श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता, अपीलाण्ट की ओर से।
2. श्री गुलाबसिंह चम्पावत, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट्स बावजूद तामीली के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 23 जून, 2025

1. अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा के समक्ष धारा 128, 129

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

सपठित धारा 111 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत दिनांक 14.10.2016 को एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए यह कथन किया गया कि प्रार्थी की कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि ग्राम मेहरानगढ तहसील भणियाणा में ख0सं0 533/2193 रकबा 75 बीघा स्थित है जिसमें प्रार्थी के पक्के झूपा, ओरा, गायों के ठाणे एवं रहवासीय ढाणी बने हुए हैं। उक्त भूमि के लगते हुए अपीलान्ट्स एवं अन्य रेस्पोडेन्ट्स के खेत ख0सं0 533/2192, 533/1997, 533/2651 आये हुए है। रेस्पो0 संख्या एक द्वारा अपने खेत की पैमाइश दिनांक 1.7.2016 को पटवारी हल्का से करवाई गई लेकिन अप्रार्थीगणों ने विवाद पैदा कर दिया और खेत की सीमा को तोडकर भू भाग पर कब्जा करने की कोशिश की। तब प्रार्थी द्वारा तहसलीदार से कमेटी द्वारा सीमाज्ञान कराने हेतु निवेदन किया गया लेकिन भूमि की पैमाइश होना सम्भव नहीं होने से पत्थरगढी करना अतिआवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाने का आदेश प्रदान करावें।

2. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2016 को अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.2017 के द्वारा स्वीकार करते हुए तहसीलदार भणियाणा को टीम गठन कर दोनों पक्षों को लिखित में सूचित कर सेटलमेन्ट के पुख्ता पॉईन्टो से पैमाइश कर तत्पश्चात पक्की नेखमबन्दी करने का आदेश पारित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.05.2017 को पेश की गई है।

3. पक्षकारान के अधिवक्तागण उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट्स के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक ने फर्जी व्यक्ति बनकर ख0सं0 533/2073/2193 में से 75 बीघा भूमि कायमखॉ पुत्र अमीन खॉ के नाम से आवंटन करवाई जिसके विरूद्ध पुलिसथाना फलसूण्ड में एफआईआर दर्ज हुई जिसमें न्यायालय में चालान पेश हुआ और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। रेस्पो0 संख्या एक ने अपने आप को उक्त भूमि के सम्बन्ध में मालिक दर्शित करवाने की मंशा से व फौजदारी प्रकरण में लाभ प्राप्त करने की मंशा से परीक्षण न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू राजस्व अधिनियम का पेश किया और एकतरफा आदेश प्राप्त कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय ने भी उसे खातेदार/काश्तकार मानते हुए भूमि की पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित कर दिये जो काबिले खारिज है।

4. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि अपीलान्ट की ओर से अन्तर्गत धारा 131 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था जिसमें कासम खॉ अप्रार्थी संख्या 01 है, उस पत्रावली के संदर्भ में किसी प्रकार का आदेश पारित किये बिना ही पत्थरगढी के आदेश पारित किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल कारित की है। रेस्पो0 सं0 एक को कोई खातेदारी हक–

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अधिकार हासिल नहीं है, क्योंकि जॉच के दौरान फर्जी व्यक्ति के नाम खातेदारी की हुई प्रमाणित हुआ है। ऐसे में जिस भूमि पर रेस्पो0 संख्या 01 को अधिकार व हक हासिल नहीं है, परीक्षण न्यायालय के आदेश को ज्यों का त्यों रखा जाता है तो रेस्पो0 संख्या एक को वे अधिकार प्राप्त हो जायेगे जिसमें वह अधिकार निहित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन बिन्दुओं पर विचार किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो खारिज योग्य है।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को युक्तियुत सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट संख्या 02 से 04 के वालिद जो प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 02 थे तथा जिनका स्वर्गवास दिनांक 12.4.2017 को ही हो गया था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है, इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश अपास्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आनन–फानन में पूर्व में मानस बनाकर निर्णय पारित किया गया है

6. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक की विवादित खसरे में किसी प्रकार की कच्ची पक्की ढाणी नही बनी हुई है और न ही अपीलान्ट पैमाइश में बाधा कारित कर रहे है क्योंकि अपीलान्ट ने किसी भी प्रकार की मेड आदि तोड़कर रेस्पो0 संख्या एक के खेत में प्रवेश नहीं किया है, तो अतिक्रमण आदि करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। यदि ऐसा किया जाता तो रेस्पो0 संख्या एक अन्य कानूनी कार्यवाही अवश्य करता, परन्तु रेस्पोडेन्ट के द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान न दिया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.2017 पारित कर दिया है जो कि निरस्त करने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.4.2017 को निरस्त किया जावें।

7. प्रत्युतर में रेस्पो. संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई यह निवेदन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 128, 129 सपठित धारा 111 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत दिनांक 14.10.2016 को एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए निवेदन किया था कि प्रार्थी की कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि ग्राम मेहरानगढ तहसील भणियाणा में ख0सं0 533/2193 रकबा 75 बीघा स्थित है जिसमें प्रार्थी के पक्के झूपा, ओरा, गायों के ठाणे एवं रहवासीय ढाणी बने हुए हैं। उक्त भूमि के लगते हुए अप्रार्थीगण के खेत ख0सं0 533/2192, 533/1997, 533/2651 आये हुए है। रेस्पो0 संख्या एक द्वारा अपने खेत की पैमाइश दिनांक 1.7.2016 को पटवारी हल्का से करवाई गई लेकिन अप्रार्थीगणों ने इस पर विवाद पैदा कर दिया और खेत की सीमा को तोडकर उनकी भूमि के कुछ भू भाग पर कब्जा करने

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

की कोशिश की। तब प्रार्थी ने तहसीलदार महोदय से कमेटी द्वारा सीमाज्ञान कराने हेतु निवेदन किया, लेकिन भूमि की पैमाइश होना सम्भव नहीं होने से पत्थरगढी करना अतिआवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की ख0सं0 533/2193 की पत्थरगढी करवाने का आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2016 को अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.2017 के द्वारा स्वीकार करते हुए तहसीलदार भणियाणा को टीम गठन कर दोनों पक्षों को लिखित में सूचित कर सेटलमेन्ट के पुख्ता पॉईन्टो से पैमाइश कर तत्पश्चात पक्की नेखमबन्दी करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है।

8. रेस्पो. संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि हर खातेदार/काश्तकार को अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाये जाने का अधिकार होता है और इसी अधिकार के तहत रेस्पो0 संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए पक्की नेखमबन्दी करने का आदेश पारित किया है जो विधि के अनुकूल एवं उचित होने ने यथावत रखा जावें। अपीलान्ट की ओर से इस अपील में जो तथ्य दर्शाये गये है, वो तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये और न ही कोई दस्तावेज पेश किये गये थे, ऐसे में इस अपील के जरिये उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय पर किसी प्रकार का विपरित प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

9. रेस्पो. संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने पर अप्रार्थीगण को उनका पक्ष रखे जाने हेतु नोटिस जारी किये गये थे तथा वर्तमान अपीलान्ट्स की ओर से अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया गया था तथा जबाब भी पेश किया गया था परन्तु अन्तिम सुनवाई दिनांक को उनके उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए रेस्पो0 संख्या एक का आवेदन स्वीकार किया जाकर पक्की नेखमबन्दी किये जाने के आदेश पारित किये गये है जिसमें दोनों पक्षों को लिखित में सूचित कर निश्चित तारीख पर सेटलमेन्ट के पुख्ता पॉईन्टों से रेस्पो0 संख्या एक के ख0सं0 533/2193 की भूमि की नेखमबन्दी करने के आदेश तहसीलदार भणियाणा को दिये गये है, जो उचित है। अपीलान्ट को चाहिये कि वे अपीलाधीन आदेश की पालना में होने वाली कार्यवाही के समय मौके पर उपस्थित रहे। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा जावें।

10. हमने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से बगौर अवलोकन किया गया, जिससे यह पाया गया है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा के समक्ष धारा 128, 129

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

सपठित धारा 111 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत दिनांक 14.10.2016 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि उनकी कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि ख0सं0 533/2193 रकबा 75 बीघा भूमि की पैमाइश दिनांक 1.7.2016 को पटवारी हल्का से करवाई गई लेकिन अप्रार्थीगणों ने विवाद पैदा कर खेत की सीमा को तोडकर उक्त भू भाग पर कब्जा करने की कोशिश की गई। तब प्रार्थी ने तहसीलदार से कमेटी द्वारा सीमाज्ञान कराने हेतु निवेदन किया गया लेकिन भूमि की पैमाइश होना सम्भव नहीं होने से पत्थरगढी करने हेतु आदेश प्रदान किया जाने हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2016 को दिनांक 18.04.2017 को स्वीकार करते हुए तहसीलदार भणियाणा को टीम गठन कर दोनों पक्षों को लिखित में सूचित कर सेटलमेन्ट के पुख्ता पॉईन्टो से पैमाइश कर तत्पश्चात पक्की नेखमबन्दी करने का आदेश पारित किया गया हैं।

11. अपीलान्ट्स के द्वारा अपनी इस अपील में उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.2017 के सम्बन्ध में मुख्यतः यह आपत्ति की है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में संस्थित अप्रार्थी संख्या 02 की दिनांक 12.4.2017 को देहान्त हो जाने के उपरान्त भी दिनांक 18.4.2017 को मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया गया है जो कि विधि के विपरित पारित किया गया है क्योंकि सभी पक्षकार एक ही ग्राम के निवासी है, तथा रेस्पो0 संख्या 02 की मृत्यु की जानकारी रेस्पो0 संख्या 01 को अवश्य रही थी। रेस्पो0 संख्या 2 की मृत्यु दिनांक 12.4.2017 का मृत्यु प्रमाण पत्र भी पत्रावली में संलग्न है। दूसरी आपत्ति दौराने बहस यह भी की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनकी ओर से अधिवक्ता नियुक्त किये हुए थे और उनकी ओर से लिखित में प्रार्थना पत्र का जवाब भी पेश किया गया था, जिसे कन्सीडर नहीं किया गया।

12. इसके अतिरिक्त अपीलान्ट्स ने यह भी उल्लेख किया है कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा उक्त भूमि का फर्जी रूप से आवंटन करवाया गया हैजिसके सम्बन्ध में रेस्पो0 संख्या एक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है तथा बाद अनुसंधान न्यायालय में चालान भी पेश किया गया है जहॉ अभी प्रकरण विचाराधीन है। ऐसे में उक्त भूमि के आवंटन निरस्तीकरण करवाने हेतु नियम 14 (4) की कार्यवाही भी नहीं की गई है।

13. रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता अपीलान्ट्स की उपरोक्त आपत्तियों के विरोध में कोई ठोस कारण नहीं दर्शा पाये है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.2017 के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष यह अपील पेश होने पर अपीलीय न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 3.5.2017 के द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना एवं कियान्विति को स्थगित किया हुआ है, उक्त स्थगन इस विचाराधीन पत्रावली के अनुसार निरन्तर

सभागीय आयुक्त
जोधपुर

बना हुआ है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.4.2017 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त ऑब्जर्वेशन्स के आधार पर पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

14. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में उपरोक्त ऑब्जर्वेशन्स को मध्यनजर रखते हुए एवं उभय पक्षकारान को सुनवाई हेतु उचित एवं पर्याप्त अवसर देते हुए, पक्षकारान को अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त पुनः नये सिरे से यथोचित निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 23 जून, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर